2019/00118

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट मु. नं. 78 सन् 2019 –

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>22.02.2019</td><td>
यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व कोलायत से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का भोलासर ने खाता दुरूस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 की प्रति। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भू–अभिलेख निरीक्षक गजनेर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भोलासर चौहानान तहसील कोलायत व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में खाता संख्या 09 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>ग्राम</th><th>खाता संख्या</th><th>वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)</th><th>आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>भोलासर चौहानान</td><td>09</td><td>खसरा नं. 248/113 ता. 4.37 हे. बाकी खाता बदस्तूर जमाबंदी</td><td>खसरा नं. 377/113 ता. 1.95 हे. एवं खसरा नं. 378/113 ता. 2.42 हे. बाकी खाता बदस्तूर जमाबंदी</td></tr>
</table>
निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

22/02/19
उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत
</td><td></td></tr>
</table>

Scanned by CamScanner